उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-।
संख्या जी-।-3033/दस-534(46)/76
दिनांक : लखनऊ, ।4 दिसम्बर, ।982

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :- सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों आदि में सरकारी सेवकों की वाह्य सेवा पर प्रतिनियुवित ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति के विषय में जारी किये गये कार्यालय-ज्ञाप संख्या जी-।-638/दस-534(46)/76, दिनांक ।7 मई, ।982 के पैरा-3(5) में यह प्राविधान है कि किसी भी सरकारी सेवक को भारत के अन्दर प्रशासकीय विभाग 5 वर्ष तक की अवधि के लिए निर्धारित मानक शर्तों के अधीन वाह्य सेवा पर स्थानान्तरित कर सकते हैं । समय-समय पर शासन के समक्ष ऐसे मामले आये हैं जहाँ सरकारी सेवकों की विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों आदि में वाह्य सेवा की अवधि 5 वर्ष के उपरान्त भी किसी न किसी कारण बढ़ाई जाती रही है । यह भी देखा गया है कि कुछ अधिकारी/कर्मचारी बराबर ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं कि वे किसी न किसी ऐसी संस्था में वाह्य सेवा पर जाते रहते हैं जहाँ उनको प्रतिनियुक्ति भत्ता तथा अन्य लाभ मिले । इसका परिणाम यह होता है कि कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों में बराबर प्रतिनियुक्ति पर बने रहने की प्रवृत्ति पैदा होती है साथ ही सम्बन्धित विभागों में अच्छे अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी बनी रहती है ।

2- उक्त स्थिति प्रशासकीय दृष्टिकोण से संतोषजनक नहीं है । अतः शासन ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये हैं :-

(।) किसी भी सरकारी सेवक को वाह्य सेवा पर 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए स्थानान्तरित न किया जाए और जिन सरकारी सेवकों की वाह्य सेवा अवधि 5 वर्ष हो गयी है और उसे आगे बढ़ाये जाने के आदेश जारी नहीं हुए हैं, उन्हें 3।-3-83 तक पैतृक विभाग में वापस बुला लिया जाये ।

(2) वाह्य सेवा पर स्थानान्तरण की अवधि समाप्त होने के 3 माह पूर्व प्रशासकीय विभाग सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रम/निगम/सहकारी संस्था/स्थानीय निकाय आदि को यह स्पष्ट रूप से सूचित कर दें कि वाह्य सेवा की अवधि अमुक तिथि के आगे नहीं बढ़ाई जायेगी और सम्बन्धित सरकारी सेवक को उक्त तिथि से कार्य-मुक्त कर दिया जाये और आदेश दिया जाय कि वह अपने पैतृक विभाग में कार्य-भार ग्रहण करें ।

(3) किसी भी सरकारी सेवक को जो वाह्य सेवा पर एक बार स्थानान्तरित किया जा चुका है, उसे दूसरी बार वाह्य सेवा पर स्थानान्तरित करने पर विचार करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उसने पैतृक विभाग में बीच की अवधि में कम से कम 2 वर्ष तक सेवा कर ली है ।

(4) यदि किसी निगम/उपक्रम की विशेष परिस्थितियों में किसी सरकारी सेवक को 5 वर्ष की अवधि के बाद भी वाह्य सेवा पर बनाए रखना आवश्यक हो तो उसके बारे में वाह्य सेवा की अवधि समाप्त होने से कम से कम 3 माह पूर्व सम्बन्धित उपक्रम/निगम प्रशासकीय विभाग को उन स्पष्ट कारणों सहित प्रस्ताव भेजें जिनमें उक्त सरकारी सेवक को सम्बन्धित उपक्रम या निगम में सीमित अतिरिक्त अवधि के लिए बनाए रखना आवश्यक है । प्रशासकीय विभाग द्वारा ऐसे प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत किये जायें और यदि वाह्य सेवा की अवधि समाप्त होने से पूर्व उक्त सरकारी सेवक के वाह्य सेवा में बनाए रहने के आदेश प्रसारित न किए गए हों, सरकारी सेवक को बिना किसी अन्य आदेश के पैतृक विभाग में प्रत्यावर्तित कर दिया जाय ।

(5) यदि कोई सरकारी सेवक बिना शासन की स्वीकृति के 5 वर्ष की अवधि के बाद भी वाह्य सेवा पर बना रहता है तो उसे 5 वर्ष की अवधि के बाद की तिथि से प्रतिनियुक्ति भत्ता या अतिरिक्त लाभ/सुविधा, जो उसे सम्बन्धित निगम/उपक्रम आदि द्वारा दी जा रही थी, देय नहीं होगी और उसे केवल वहीं मूल वेतन अनुमन्य होगा जो वह अपने पैतृक विभाग में पाता।

(6) वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति के दौरान यदि कोई निगम/सार्वजनिक उपक्रम/संस्था/स्वशासी संगठन इत्यादि में प्रतिनियुक्ति पर आये किसी सरकारी सेवक को अपनी संस्था/संगठन में नियमित रूप से संविलियन करना चाहें, तो उसे सरकारी सेवक का सम्बन्धित संस्था में संविलियन वित्त विभाग की सहमति से सार्वजनिक उद्योग विभाग द्वारा जारी किये गये मार्ग-दर्शन सिद्धान्त के अनुसार होगा।

3- आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेशों का यथावत् अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृपया अपने अधीन सभी विभागों और कार्यालयों के स्टाफ के वाह्य सेवा पर स्थानान्तरण संबंधी मामलों का पुनः विश्लेषण कर लें और उपर्युक्त आदेशों के अनुसार तुरन्त कार्यवाही करने का कष्ट करें। कृपया उपरोक्त से समस्त स्टाफ को अवगत भी करा दें।

जे0 एल0 बजाज,
वित्त सचिव।

सेवा में,

सचिवालय के समस्त अनुभाग।

संख्या जी-।-3033(।)/दस-534(46)/76, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(।) उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।
(2) विधान सभा/परिषद् सचिवालय।
(3) राज्यपाल सचिवालय।
(4) शासन के समस्त सचिव तथा विशेष सचिव।
(5) महालेखाकार ।, ।। एवं ।।।, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, लखनऊ।

आज्ञा से,
एस0 डी0 वर्मा,
उप सचिव।